क्रम संख्या–11

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0–30 / 2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 28 जनवरी, 2013 ई0

माघ 08, 1934 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 32 / XXXVI(3) / 2013 / 67(1) / 2012

देहरादून, 28 जनवरी, 2013

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड विद्युत उत्पादन पर जल कर विधेयक, 2012'** पर दिनांक 25 जनवरी, 2013 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 09 वर्ष, 2013 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड विद्युत उत्पादन पर जल कर अधिनियम, 2012

{उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 09 संख्या 2013}

विद्युत उत्पादन पर जल कर अधिरोपित करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

अध्याय –1

सामान्य

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त शीर्षक उत्तराखण्ड विद्युत उत्पादन पर जल कर अधिनियम, 2012 है।

(2) यह सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में लागू होगा।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत होगा, जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करें।

(4) तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में कोई बात के होते हुए भी इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी होगें।

परिभाषाएं

2. इस अधिनियम में, जब तक कि विषय अथवा संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) **"अधिनियम"** से उत्तराखण्ड विद्युत उत्पादन पर जल कर अधिनियम, 2012 अभिप्रेत है ;

(ख) **"आयोग"** से उत्तराखण्ड विद्युत उत्पादन पर जल कर के लिए अधिनियम की धारा 21 के अधीन स्थापित उत्तराखण्ड राज्य आयोग अभिप्रेत है;

(ग) **"विद्युत"** से राज्य की सीमान्तर्गत बहने वाले जल से विद्युत उत्पादन अभिप्रेत है;

(घ) **"सरकार"** से उत्तराखण्ड की सरकार अभिप्रेत है;

(ङ) **"अधिसूचना"** से राज्य के राजपत्र में अधिसूचित अधिसूचना के अभिप्रेत है और पद "अधिसूचित" तद्नुसार किया जायेगा;

(च) **"उपयोगकर्ता"** से विद्युत के उत्पादन के लिये किसी स्रोत से जल लेने की सुविधा के उपभोग को इस अधिनियम के अध्याय दो के अधीन जल लेने वाले अथवा अन्य कोई प्राधिकृत प्राधिकारी के ऐसे व्यक्ति, व्यक्तियों के

समूह, स्थानीय निकाय, राजकीय विभाग, कम्पनी, निगम, सोसाइटी इत्यादि अभिप्रेत है,

(छ) **"जल"** से प्राकृतिक संसाधन यथा नदी, धारा, नहर, नाला या अन्य स्रोत, जिसमें प्राकृतिक रूप से जल का प्रवाह होता हो या तालाब, झील, दलदल, झरना आदि अभिप्रेत है;

(ज) **"जल स्रोत"** से नदी, सहायक नदी, जल धारा, नाला, नहर, झरना, तालाब, झील या अन्य स्रोत अभिप्रेत है, जिससे विद्युत उत्पादन हेतु जल उपलब्ध होता है;

(झ) **"जल कर"** से इस अधिनियम के अधीन नियत और विद्युत के उत्पादन के लिए उपयोग किये जाने हेतु अधिरोपित दर अथवा अधिभार अभिप्रेत है।

अध्याय – 2

प्रस्तावना

सामान्य

3. (1) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये राज्य में अवस्थित प्रत्येक जल स्रोत राज्य की सम्पति है और किसी व्यक्ति, व्यक्ति समूह या अन्य निकाय, निगम, कंपनी, सोसायटी या समुदाय में निहित ऐसे जल संसाधनों पर कोई तट स्वामित्व या उपयोग का अधिकार, अधिनियम के प्रारम्भ होने की तिथि से समाप्त करते हुए सरकार में निहित समझा जायेगा। तथापि, अन्तर्राज्यीय स्वभाव की नदियों और अन्तर्राष्ट्रीय संधियों के दायरे में आने वाली नदियों के संबंध में उत्तराखण्ड सरकार का अधिकार जल के गैर क्षयशील उपयोग तक सीमित रहेगा।

(2) कोई भी व्यक्ति, व्यक्ति समूह, सरकारी विभाग, स्थानीय प्राधिकारी, निगम, कंपनी, सोसायटी या अन्य निकाय, सिवाय अधिनियम के उपबंधो के अनुसार किसी अन्य प्रकार से विद्युत उत्पादन हेतु जल का उपयोग नहीं करेगा।

अध्याय – 3

जल विद्युत उत्पादन इकाई के स्थापन द्वारा जल का उपयोग

जल के उपयोग हेतु योजना का संस्थापन

4. कोई व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह, सरकारी विभाग, स्थानीय प्राधिकारी, निगम, कम्पनी, सोसाइटी या अन्य निकाय, चाहे वह किसी नाम से जाना जाय (जिसे आगे अध्याय में "उपयोगकर्ता" कहा गया है) इस अध्याय में आगे उपबंधित प्राविधानों के अनुसरण में आयोग के अधीन पंजीकृत के सिवाय

किसी अन्य प्रकार से विद्युत उत्पादन हेतु किसी जल स्रोत के जल के उपयोग (गैर क्षयशील उपयोग) के लिये आवश्यक योजना संस्थापित नहीं करेगा।

उपयोगकर्ता द्वारा जल के उपयोग हेतु स्वीकृत योजना का जमा किया जाना

5. कोई उपयोगकर्ता, जो विद्युत के उत्पादन के प्रयोजन हेतु जल के उपयोग (गैर क्षयशील उपायोग) की आवश्यकता के लिये योजना संस्थापित करना चाहता हो वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत, योजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट आयोग में प्रस्तुत करेगा जिसके साथ पंजीकरण हेतु आयोग द्वारा नियत शुल्क और अधिभार संलग्न किया जायेगा।

योजना की स्वीकारोक्ति

6. किसी उपयोगकर्ता से योजना प्रारूप प्राप्त करने के पश्चात् आयोग अधिनियम के अधीन योजना को स्वीकार किये जाने के लिये विचार करेगा।

उपयोगकर्ता को सूचना

7. धारा 6 के अधीन जल आयोग द्वारा योजना स्वीकार कर लेने के पश्चात् आयोग योजना को पंजीकृत करेगा और उपयोगकर्ता को सूचित करेगा कि वह–

(क) निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित तरीके से आयोग के साथ करार करें, और

(ख) अधिनियम के अध्याय 4 के अधीन निर्धारित शुल्क और जल कर का भुगतान करें।

योजना के संस्थापन का निषेध

8. धारा 10 की अपेक्षाओं का पालन किये बिना जल के उपयोग आवश्यकता हेतु कोई उपयोगकर्ता योजना संस्थापित नहीं करेगा।

जल के उपयोग हेतु पंजीकरण

9. कोई व्यक्ति जल का अपेक्षित उपयोग अथवा जल का किसी अन्य रीति से उपयोग तब तक नहीं करेगा जब तक कि वह धारा 10 के अधीन रजिस्ट्रीकरण हेतु इसके लिये प्राधिकृत न हो।

रजिस्ट्रीकृत प्रमाण पत्र प्रदान करना

10. विद्युत उत्पादन हेतु जल के उपयोग (गैर क्षयशील उपयोग) के इच्छुक व्यक्ति को अधिनियम के अधीन उपयोगकर्ता और आयोग के मध्य करार हो जाने के पश्चात् एक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता हेतु कुछ निषेध

11. कोई भी रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता राज्य जल आयोग की पूर्व स्वीकृति के बिना–

(क) किसी अन्य उपयोगकर्ता की कंपनी को क्रय द्वारा अधिग्रहीत करने या अन्यथा प्राप्त करने के लिये लेनदेन नहीं करेगा; या

(ख) अपनी उपयोगिता का किसी अन्य उपयोगकर्ता की उपयोगिता के साथ विलयन नहीं करेगा।

रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता के कर्तव्य, दायित्व और उत्तरदायित्व

12. (1) रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता अधिनियम के उपबंधो के अनसार विद्युत उत्पादन के लिये जल के उपयोग हेतु जल कर का भुगतान करने का दायी होगां

(2) जहां अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व विद्युत उत्पादन के उद्देश्य से किसी उपयोगकर्ता ने जल विद्युत योजना का निर्माण किया है वहां ऐसा उपयोगकर्ता, अधिनियम के प्रारम्भ होने की तिथ से छः माह के भीतर, अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन करेगा तथा आयोग, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, आवेदन प्राप्ति की तिथि से छः माह की अवधि के भीतर उपयोगकर्ता को रजिस्ट्रीकरण करने के लिये आदेश पारित करेगा।

(3) यदि उपयोगकर्ता, उपधारा (2) में उल्लिखित आवेदन करने में या नियत समय में रजिस्ट्रीकरण में विफल रहता है तो आयोग तत्काल उपयुक्त दंड अधिरोपित करेगा जिसे निरन्तर चूक होने पर बढ़ाया जा सकेगा।

(4) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता, योजना के प्रचालन के अधीन क्षेत्र के निवासियों के जीवन और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के दायित्व के अधीन होगा।

(5) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत उपयोगकर्ता किसी भी समय योजना क्षेत्र के भीतर प्रवेश हेतु प्राधिकारी या अन्य अधिकारियों को उनकी संतुष्टि हेतु अनुमति देने के लिये आबद्ध होगा।

नियंत्रण और सुरक्षा प्रावधान

13. (1) आयोग, उपयोगकर्ता को लिखित नोटिस दे कर अपेक्षा कर सकता है कि वह–

(क) आयोग की संतुष्टि हेतु प्रकिया के अनुसार तथा आयोग द्वारा योजना हेतु विनिर्दिष्ट अवधि के अन्तराल में, एक विशेषज्ञ द्वारा आवधिक निरीक्षण करवाये।

(2) उपयोगकर्ता निम्नलिखित कार्यकलापों के संचालन हेतु आयोग द्वारा इस निमित्त निर्धारित शुल्क व अन्य प्रभारों का आयोग को भुगतान करेंगा–

(क) आयोग का इस निमित्त सशक्त किसी अधिकारी का विशेषज्ञ द्वारा आवधिक निरीक्षण;

(ख) उपयोगकर्ता की योजना के संबंध में इस धारा के अधीन आयोग द्वारा निष्पादित या निष्पादित करवाये जाने के लिये कोई अन्य कियाकलाप।

अध्याय – 4

उपयोगकर्ता द्वारा लिए जाने वाले जल का निर्धारण

उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग किये जाने वाले जल का निर्धारण

14. (1) आयोग योजना के परिक्षेत्र के भीतर या विद्युत उत्पादन हेतु उपयोग के जल के मापन के उद्देश्य से आयोग जहां उचित समझें, प्रवाह मापन उपकरण संस्थापित करेगा या करायेगा या उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग किये गये जल के निर्धारण हेतु कोई अप्रत्यक्ष तरीका अपना सकेगा।

(2) आयोग, उपयोगकर्ता के परिक्षेत्र में या उसके स्थल पर या आयोग द्वारा निर्देशित स्थान पर आयोग द्वारा अनुमोदित विशिष्टिताओं के अनुरूप प्रवाह मापन उपकरण लगवायेगा या उपयोगकर्ता से लगवायेगा तथा इसके पश्चात् उस उपयोगकर्ता द्वारा इसके लिये किये गये व्यय को उपयोगकर्ता द्वारा देय जल कर में समायोजन किये जाने का निर्देश दे सकेगा।

प्रवाह मापन उपकरण या किसी अन्य फिटिंग को क्षतिग्रस्त करना

15. कोई भी व्यक्ति उपकरण या उपकरण की किसी फिटिंग को जानबूझकर कर क्षतिग्रस्त नही करेगा या करायेगा।

जल प्रवाह मापन के उपकरणों में धोखाधड़ी

16. कोई भी व्यक्ति कपट पूर्वक या बेईमानी से–

(क) प्रवाह मापन उपकरण के सूचकांक में परिवर्तन नहीं करेगा या आपूर्ति किये गये जल की वास्तविक मात्रा को रिकार्ड करने से नहीं रोकेगा;

(ख) रिकार्ड करने के उद्देश्य से लगाये गये मापन उपकरण द्वारा रिकार्ड किये जाने से पहले जल प्राप्त नहीं करेगा;

(ग) मापन उपकरण से छेड़छाड़ नहीं करेगा या छेड़छाड़ किये गये उपकरण को संस्थापित नहीं करेगा; या

(घ) किसी ऐसे अन्य उपकरण या तरीके का उपयोग नहीं करेगा जो आपूर्ति किये गये जल के सही व उचित अंकन, अंश शोधन या मीटरिंग में व्यवधान डालता हो।

अध्याय – 5

जल कर

जल कर का नियतन

17. (1) उपयोगकर्ता ऐसी दर से जैसा सरकार इस हेतु अधिसूचना द्वारा नियत करें, जल कर का भुगतान किये जाने हेतु दायी होगा।

(2) इस धारा के अधीन निर्धारित जल कर की राज्य सरकार समय–समय पर जैसा वह उचित समझे इस धारा के अधीन नियत जलकर की दरों को परिवर्धित, बढ़ा, घटा अथवा अन्तर कर सकेगी।

जल कर की वसूली

18. विद्युत उत्पाद्रन के लिये उपयोगकर्ता जब कभी जल निकाला जायेगा, आयोग द्वारा प्रत्येक उपयोगकर्ता से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार जल कर की वसूली की जायेगी।

निर्धारण हेतु प्रकिया

19. (1) विद्युत उत्पादन के लिये उपयोगकर्ता द्वारा निकाले गये जल का निर्धारण और उसके जल कर की संगणना आयोग द्वारा की जायेगी।

(2) उपयोगकर्ता, राज्य जल आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर उपधारा (1) के अधीन निर्धारित रूप में जल कर का भुगतान करेगा।

(3) यदि कोई उपयोगकर्ता, उस पर देय जल कर का भुगतान नहीं कर पाता है तो उस पर राज्य जल आयोग द्वारा अवधारित किये अनुसार दंड अधिरोपित किया जायेगा। उपयोगकर्ता को आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार विस्तारित अवधि के भीतर जल कर के साथ दंड का भुगतान करना होगा। यदि उपयोगकर्ता विस्तारित अवधि के भीतर जल कर के साथ दंड का भुगतान करने में पुनः विफल रहता है तो देयों की वसूली संबधित जिले के जिला कलेक्टर के माध्यम से भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जायेगी।

अध्याय – 6

विद्युत उत्पादन पर जल कर के लिए उत्तराखण्ड राज्य आयोग

आयोग की स्थापना

20. (1) सरकार, अधिनियम के प्रारम्भ होने की तिथि से तीन माह के भीतर, अधिसूचना जारी कर अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और

कर्तव्यों का निष्पादन करने के लिये विद्युत उत्पादन पर जल कर के लिए राज्य आयोग ज्ञात नाम से एक आयोग की स्थापना कर सकेगी :

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन आयोग की स्थापना होने तक प्रमुख सचिव/सचिव, सिंचाई, अधिनियम के अधीन आयोग की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन स्थापित आयोग पूर्वोक्त नाम से एक निगमित निकाय होगा। जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा और एक सामान्य मुद्रा होगी, इसके पास चल व अचल संपत्ति दोनों के प्राप्त करने, धारण और व्ययन करने की तथा संविदा करने की शक्ति होगी तथा इस नाम से वाद लाया या चलाया जा सकेगा।

(3) आयोग का मुख्य कार्यालय उस स्थान पर होगा जिस पर अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार निश्चित करें।

(4) राज्य जल आयोग में एक अध्यक्ष और निर्धारित किये अनुसार अधिकतम दो सदस्य होंगे।

(5) राज्य जल आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति धारा 22 की उपधारा (1) में संदर्भित चयन समिति की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।

आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं

21. (1) अध्यक्ष की नियुक्ति उन व्यक्तियों में से की जायेगी, जो राज्य सरकार में सचिव या उससे उच्च पद पर कार्यरत हैं या रहे हैं तथा जिन्हे इन्जीनियरिंग, वित्त, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, विधि प्रशासन या प्रबंधन से संबंधित समस्याओं का पर्याप्त ज्ञान या अनुभव है या जिन्होंने इन समस्याओं से निपटने की क्षमता प्रदर्शित की है।

(2) आयोग के सदस्य योग्य, सत्यनिष्ठ और अनुभवी होंगे जिन्हे इन्जीनियरिंग, वित्त, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, विधि प्रशासन या प्रबंधन से संबंधित कठिनाई का पर्याप्त ज्ञान या अनुभव है या जिन्होंने इन कठिनाई से निपटने की क्षमता प्रदर्शित की है :

परन्तु यह कि इन व्यक्तियों में से न्यूनतम एक सदस्य जो मुख्य अभियन्ता स्तर के श्रेणी से नीचे का पद धारण न करता हो अथवा इसके समकक्ष जल विद्युत इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अर्हता और अनुभव प्राप्त हो,

नियुक्त किया जायेगा;

(3) आयोग का अध्यक्ष या इसके सदस्य कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेंगे।

(4) अध्यक्ष, आयोग का मुख्य कार्यपालक होगा।

सर्च समिति का गठन

22. (1) आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के उद्देश्य से, सरकार एक तलाश समिति का गठन करेगी, जिसमें निम्नलिखित से संरचित होगी :–

(क)	मुख्य सचिव	– अध्यक्ष
(ख)	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन	– सदस्य
(ग)	प्रमुख सचिव/सचिव, सिंचाई, उत्तराखण्ड शासन	– सदस्य
(घ)	प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा, उत्तराखण्ड शासन	– सदस्य
(ङ)	प्रमुख सचिव/सचिव, विधि, उत्तराखण्ड शासन	–सदस्य।

(2) सरकार, अध्यक्ष या किसी सदस्य के निधन, इस्तीफे या हटाये जाने के कारण रिक्ति होने की तिथि से एक माह के भीतर तथा अध्यक्ष या किसी सदस्य के अवकाश प्राप्ति या कार्यकाल समाप्त होने से छः माह पूर्व, रिक्ति को भरने के लिये सर्च समिति को निर्देश देगी।

(3) सर्च समिति, निर्देश प्राप्त करने की तिथि से दो माह भीतर अध्यक्ष या सदस्यों का चयन पूर्ण करेगी।

(4) अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति हेतु किसी व्यक्ति की संस्तुति करने से पूर्व चयन समिति अपनी संतुष्टि करेगी कि उस व्यक्ति का कोई ऐसा वितीय या अन्य हित नहीं है, जिसका अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उस के कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

पद की अवधि और सेवा की शर्तें

23. (1) अध्यक्ष और सदस्य कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि हेतु पद धारण करेंगे :

परन्तु यह कि अध्यक्ष या कोई सदस्य 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने के पश्चात् पद धारण नहीं करेंगे :

परन्तु यह और की सरकार किसी भी समय लिखित में कारण अभिलिखित करते हुए सुनवाई का समुचित अवसर देकर अध्यक्ष अथवा सदस्य को तीन वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने से पूर्व यथासमिति

कार्यावधि निर्धारित कर सकती है :

परन्तु यह भी कि सरकार अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य थे जिनकी प्रस्तावित कार्यावधि आदेश द्वारा निर्धारित कर दी गई है, के आदेश को निलम्बित कर सकती है, अथवा यदि सरकार की राय में अध्यक्ष अथवा सदस्य को निलम्बित करने के पर्याप्त और साम्य आधार है।

(2) अध्यक्ष और सदस्यों की वेतन, भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन एवं शर्ते ऐसी होगी जैसा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाय :

परन्तु यह कि अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भते तथा सेवा की अन्य शर्ते नियुक्ति के पश्चात् उनके लिए कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किये जा सकेगें।

(3) अपने पद में प्रवेश से पूर्व अध्यक्ष और सदस्य ऐसे निर्धारित प्ररूप पर तथा ऐसी रीति से ऐसे प्राधिकारी के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे, जैसा विहित किया जाय।

(4) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी अध्यक्ष या कोई सदस्य न्यूनतम तीन माह का नोटिस सरकार को लिखित में दे कर अपना पद त्याग सकते है।

(5) इस पद पर न बने रहने वाला अध्यक्ष या कोई सदस्य–

(क) उस पद को धारण करना बंद करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि तक सरकार के अधीन नियुक्ति के लिये योग्य नही होगा; और

(ख) ऐसे पद को धारण करना बंद करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि हेतु कोई वणिज्यिक रोजगार स्वीकार नहीं करेगा।

अध्यक्ष अथवा सदस्य को हटाया जाना

24. (1) सरकार, अध्यक्ष या किसी सदस्य को आदेश द्वारा पद से हटा सकती है, यदि वह–

(क) दिवालिया न्यायनिर्णित कर दिया गया हो; या

(ख) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अपराध सिद्ध दोष हो; या

(ग) इस रूप में कार्य करने के लिये शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गया हो; या

(घ) ऐसे वित्तीय या अन्य हित प्राप्त कर लिये हों जो कि प्राधिकार में उसनें कार्य करने में प्रतिकूल प्रभाव डालने की संभावना रखते हों; या

(2) जहाँ यह प्रश्न आता हो कि यदि अध्यक्ष अथवा सदस्य अपने दायित्वों का निर्वहन करने में शारीरिक अथवा मानसिक रूप से उपयुक्त न हो अथवा आयोग के कृत्यों में उसका कोई वित्तीय लाभ या अन्य हित निहित हेतु इस विषय में सरकार द्वारा निर्णय लिया जाएगा और उसका आदेश अन्तिम होगा।

आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी

25. (1) आयोग का एक सचिव होगा, जो अध्यक्ष के नियंत्रण के अधीन उन शक्तियों का प्रयोग करेगा और उन कर्तव्यों का निर्वाह करेगा जो इस हेतु विहित की जायें।

(2) सचिव की नियुक्ति सरकार द्वारा की जायेगी।

(3) अपने कार्यो के निष्पादन में आयोग को सहायता करने के लिये आवश्यक अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या, स्वभाव और श्रेणियों, निर्धारित किये अनुसार होंगे।

(4) सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्ते, निर्धारित किये अनुसार होंगी।

(5) आयोग निर्धारित की गई शर्तो और निबंधनो पर आयोग के कार्यो में निष्पादन में उसको सहायता करने के लिये, उपयोगकर्ताओ द्वारा लिये गये जल के निर्धारण और अन्य तकनीकी क्रियाकलापों के लिये इन्जीनियर्स तथा अन्य स्टाफ की नियुक्ति करेगा।

आयोग के कृत्य

26. राज्य जल आयोग निम्नलिखित कार्यो का निष्पादन करेगा; अर्थात् :–

(क) अधिनियम के अधीन जारी निर्णयों और आदेशो का प्रवर्त्तन करना;

(ख) जल कर के संबंधित विवादों का न्याय निर्णय करना;

(ग) शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वाह करते समय पारदर्शिता सुनिश्चित करना;

(घ) विद्युत उत्पादन हेतु उपयोग में लाये गये जल के प्रर्वतन, नियन्त्रण और मापन हेतु प्रणाली की स्थापना करना;

(ङ) सरकार द्वारा उस को सौंपे गये या निर्धारित किये गये अन्य कार्यो का निष्पादन करना।

आयोग की शक्तियाँ

27. (1) अधिनियम के अधीन कोई जांच करने या कोई कार्यवाही आरम्भ करने के प्रायोजन हेतु आयोग के पास वे ही शक्तियां होगी जो कि निम्नलिखित मामलों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन सिविल न्यायालय में निहित है; अर्थात् :–

(क) किसी साक्षी को समन करना और हाजिर करना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किये जाने योग्य किसी दस्तावेज या अन्य भौतिक पदार्थ की खोज और प्रस्तुति;

(ग) शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(घ) किसी सार्वजनिक अभिलेख की अध्यपेक्षा;

(ङ) साथियों के परीक्षण हेतु कमीशन जारी करना;

(च) अपने निर्णयों, निर्देशों और आदेशों की समीक्षा करना;

(छ) कोई अन्य मामला, जो निर्धारित किया जाये।

(2) आयोग के पास उसके समक्ष किसी कार्यवाही, सुनवाई या मामले में जैसा वह उचित समझे वैसा अंतरिम आदेश पारित करने की शक्ति होगी।

(3) आयोग अपने समक्ष कार्यवाहियों में जिसे उचित समझे ऐसे व्यक्ति को पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के हित का प्रतिनिधित्व करने के लिये प्राधिकृत कर सकता है।

आयोग के समक्ष प्रकिया

28. आयोग के समक्ष कार्यवाहियों को न्यायिक–कल्प कार्यवाहियां माना जायेगा तथा भारतीय दंड संहिता, 1860 के अधीन प्रसाशन के आप्राधिक प्रभाव के प्रयोजनों हेतु आयोग को सिविल न्यायालय माना जायेगा।

प्रवेश और जब्त करने की शक्ति

29. आयोग या कोई अधिकारी जो राजपत्रित अधिकारी से नीचे के पद का न हो तथा जिसे आयोग द्वारा विशेष रूप से इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो, ऐसे किसी स्थान पर भवन में प्रवेश कर सकता है, जहां आयोग के पास वह विश्वास करने का कारण हो कि जांच के मामले के विषय से संबंधित दस्तावेज पाया जा सकता है तथा ऐसे किसी दस्तावेज को वह अभिग्रहित कर सकता है या भारतीय दंड संहिता के प्राविधानों के अधीन उसकी प्रतियां निकाल सकता है।

प्रतिनिधायन

30. आयोग, लिखित में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा ऐसी शर्ते, यदि कोई है, जो आदेश में विनिर्दिष्ट है, के अधीन अध्यक्ष, किसी सदस्य, सचिव आयोग के किसी अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों और कार्यों धारा 26 की उपधारा (1) के खण्ड (च) के अधीन विवादों के न्याय–निर्णय की शक्तियों को छोड़ कर को प्रत्यायोजित कर सकता है, जिन्हें वह आवश्यक समझे।

उच्च न्यायालय को अपील

31. (1) आयोग किसी निर्णय या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उच्च न्यायलय में अपील योजित नही है।

(2) ऐसे व्यक्ति को ऐसे निर्णय या आदेश द्वारा उस को आयोग के निर्णय या आदेश के संप्रेषण की तिथि से नब्बे दिन के भीतर उपधारा (1) के अधीन अपील करनी होगी।

आयोग के निर्देशों की अवज्ञा के लिए दण्ड

32. यदि आयोग के समक्ष कोई शिकायत प्रस्तुत होती है कि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लघंन कर रहा है अथवा आयोग को उसके द्वारा जारी कोई निर्देश अथवा अधिनियम, नियम अथवा विनियोगों के उपबन्धों का उल्लघंन करने की सन्तुष्टि हो जाती है तो आयोग ऐसे व्यक्ति की समुचित अवसर देते हुए लिखित में आदेश द्वारा किसी अन्य दण्ड के प्रभावित हुए बिना इस अधिनियम के अधीन दण्ड के लिए दायी होगा और ऐसा व्यक्ति दण्ड के रूप में ऐसी राशि को जैसा आयोग द्वारा प्रत्येक उल्लघंन के लिए निर्धारित किया जाय, भुगतान के लिए दायी होगा और ऐसे दण्ड के भुगतान करने तक असफलता के लिए प्रत्येक दिन हेतु आयोग अधिनियम लगा सकेगा, जैसा वह उचित समझे।

न्याय निर्णयन की शक्ति

33. (1) अधिनियम के अधीन न्याय निर्णय के प्रयोजन से राज्य जल आयोग संबंधित व्यक्ति को दंड के अधिरोपण के प्रयोजन से सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् निर्धारित तरीके से जांच करने के लिये अपने किसी सदस्य को न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त करेगा।

(2) जांच करते समय न्याय निर्णायक अधिकारी के पास ऐसे साक्ष्य देने या दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिये उस मामले व उसके तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को बुलाने और हाजिर करने की शक्ति होगी जो साक्ष्य न्याय

निर्णायक अधिकारी की राय में जांच के मामीले में उपयोगी अथवा सुसंगत हो सकते है, तथा यदि ऐसी जांच में वह इस बात से संतुष्ट हो कि वह व्यक्ति अधिनियम के किसी उपबंध के अनुपालन में विफल रहा है तो वह ऐसा दंड अधिरोपित कर सकता है, जो अधिनियम के उपबंधों के अनुसार वह उचित समझे।

(3) कोई व्यक्ति, जो उपधारा (2) के अधीन किसी आदेश से व्यथित है ऐसे आदेश के उपान्तरण या विखण्डन हेतु राज्य जल आयोग के समक्ष, आदेश तीस दिन के भीतर अपील कर सकता है :

परन्तु यह कि आयोग यथास्थिति अन्य पक्ष या पक्षों को युक्तियुक्त अवसर प्रदान किये बिना कोई आदेश पारित नहीं करेगा।

न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा ध्यान में रखने योग्य कारक

34. धारा 35 के अधीन दंड की मात्रा अधिनिर्णीत करते समय न्याय निर्णायक अधिकारी निम्नलिखित कारकों का उचित रूप से ध्यान रखेगा :–

(क) चूक के परिणाम स्वरूप जहां कहीं मात्रात्मक हो वहां गैर आनुपातिक प्राप्ति या अनुचित लाभ की राशि;

(ख) चूक का पुनरावृत्ति स्वभाव।

अन्य दायित्वों पर दंड प्रभावहीन

35. अधिनियम के अधीन अधिरोपित दंड, प्रतिपूर्ति के भुगतान या उपयोगकर्ता के मामले में उसके पंजीकरण का प्रतिसंहरण जो कि अपराधी को हुआ हो, को संबंध में कोई अल्पीकरण न हो कर दायित्व के अतिरिक्त होंगे।

सरकार द्वारा अनुदान और ऋण

36. अनुदान, निधियां, लेखे, लेखा परीक्षा और रिपोर्ट राज्य विधान मंडल द्वारा इस निमित्त किये गये उचित विनियोग के पश्चात् सरकार आयोग को उतनी राशि के अनुदान और ऋण प्रदान कर सकती है जितनी सरकार उचित समझे।

सरकार द्वारा निधि की स्थापना

37. (1) एक निधि की स्थापना की जायेगी, जिसका नाम आयोग निधि होगा निम्नलिखित राशियों को जमा किया जायेगा :–

(क) सरकार द्वारा आयोग को दिये गये कोई अनुदान और ऋण;

(ख) अधिनियम आयोग द्वारा प्राप्त सभी फीस;

(ग) सरकार द्वारा निर्धारित अन्य स्रोतों से राज्य जल आयोग द्वारा प्राप्त सभी

राशियां;

(2) इस निधि का उपयोग निम्नलिखित कार्यो के लिये किया जायेगा:–

(क) आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्ते;

(ख) अधिनियम के अधीन अपने कार्यो के निष्पादन हेतु आयोग के व्यय;

(ग) वस्तुओं तथा अधिनियम द्वारा प्राधिकृत प्रयोजनों पर व्यय।

(3) सरकार, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक से परामर्श कर उपधारा के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट व्ययों को पूरा करने के लिये निधि को लागू करने का तरीका निर्धारित कर सकती है।

आयोग के लेखे

38. (1) आयोग समुचित लेखा और अन्य सम्बन्धित अभिलेख अनुरक्षित करेगा तथा लेखे के वार्षिक विवरण ऐसे प्रारूप में तैयार करेगा जैसे विहित किया जाय।

(2) आयोग के वार्षिक लेखे तथा तुलन पत्र सरकार को अग्रेषित किये जायेगें और राज्य सरकार इसे प्राप्त करने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखेगी।

आयोग की वार्षिक रिपोर्ट

39. (1) आयोग वर्ष में एक बार निर्धारित प्रपत्र और निर्धारित समय पर पिछले वर्ष के दौरान अपने कार्यकलापो का संक्षिप्त विवरण देते हुए एक रिपोर्ट तैयार करेगा तथा रिपोर्ट की प्रतियां सरकार को प्रेषित की जायेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट की एक प्रति यथा शीघ्र संभव हो, राज्य विधान मंडल के समक्ष रखी जायेगी।

आयोग का बजट

40. आयोग प्रत्येक वित्त वर्ष में अगले वित्त वर्ष के लिए अपना बजट निर्धारित प्रपत्र और निर्धारित समय पर तैयार करेगा, जिसमें आयोग को अनुमानित प्राप्तियां और व्यय दिखाये जायेंगे तथा इसे सरकार को अग्रसारित किया जायेगा।

सरकार द्वारा निर्देश

41. (1) अपने कार्य के निष्पादन हेतु राज्य जल आयोग को जनहित के नीति संबंधी मामलों पर समय–समय पर सरकार द्वारा लिखित में दिशा निर्देश दिये जायेंगे।

(2) यदि कोई ऐसा प्रश्न उठता है कि क्या किसी दिशा निर्देश में जनहित से

संबंधित मामला है या नही तो इस पर राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

सदभाव में की गई कार्रवाई का संरक्षण

42. अधिनियम, नियमों या विनियमों के अधीन तात्पार्यित सदभाव में किये गये किसी कार्य के विरूद्ध सरकार या आयोग या सरकार के किसी अधिकारी या आयोग के किसी सदस्य या अधिकारी या कर्मचारी या जन सेवन पर कोई वाद, अभियोजन या कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की जायेगी।

सदस्य, अधिकारी इत्यादि जन सेवक होंगे

43. आयोग का अध्यक्ष, इसके सदस्य, अधिकारी और अन्य कर्मचारी, अधिनियम के किन्हीं उपबंधो के अनुसरण में कार्य करते हुए या तात्पर्यित कार्य करते हुए भारतीय दंड सहिंता 1860 के अधीन लोक सेवक समझे जायेंगे।

अधिनियम के उपबंध अन्य विधियों के अतिरिक्त है न कि उनके अल्पीकरण में

44. इस अधिनियम के उपबंध राज्य में तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अतिरिक्त है न कि उसके अल्पीकरण में।

सरकार की नियम बनाने की शक्ति

45. (1) अधिनियम के उपबंधो को लागू करने के लिये सरकार, अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित सभी या किसी मामले में उपबंध कर सकेंगे :–

(क) वह प्रपत्र और तरीका, जिसमें धारा 7 के खण्ड (ख) के अधीन करार निष्पादित किया जाना है;

(ख) आवेदन का प्रपत्र व तरीका और धारा 10 के अधीन पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने के लिये भुगतान किये जाने वाला शुल्क;

(ग) धारा 23 के अधीन आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन व शर्ते;

(घ) धारा 23 की उपधारा (3) के अधीन वह प्रपत्र और तरीका तथा वह प्राधिकारी जिसके अन्तर्गत व समक्ष अध्यक्ष और सदस्य शपथ ग्रहण करेंगे;

(ङ) धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन आयोग के सचिव द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां और निष्पादित किये जाने वाले कर्त्तव्य;

(च) धारा 25 के उपधारा (2) के अधीन राज्य जल आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों का संख्या, स्वभाव और श्रेणियां;

(छ) धारा 25 के उपधारा (4) के अधीन आयोग के सचिव, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा अन्य निबंधन और शर्ते;

(ज) धारा 40 के उपधारा (3) के अधीन आयोग निधि को लागू करने का तरीका; और

(झ) कोई अन्य मामला, जो आवश्यक है या निर्धारित किया जाना है।

आयोग की विनियम बनाने की शक्तियां

46. (1) राज्य जल आयोग सामान्य रूप से अधिनियम के प्रावधानो को लागू करने के लिये अधिसूचना द्वारा अधिनियम से संगत विनियम बना सकते है।

(2) अधिनियम के अधीन आयोग द्वारा बनाये गये सभी विनियम पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन होंगे।

नियमों और विनियमों को विधान मंडल के समक्ष रखा जाना

47. शासन द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम और आयोग द्वारा बनाया गया प्रत्येक विनियम इसके बनने के पश्चात् यथाशीघ्र विधान मंडल के समक्ष रखा जायेगा।

कठिनाईयां दूर करने की शक्ति

48. (1) यदि अधिनियम के किसी उपबंध को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई आती है तो सरकार शासकीय गजट में आदेश प्रकाशित कर ऐसे प्राविधान निर्मित कर सकती, है जो अधिनियम के उपबंधो से असंगत न हों और जो कठिनाई दूर करने के लिये आवश्यक प्रतीत होते है :

परन्तु यह कि अधिनियम के आरम्भ होने की तिथि से दो वर्ष समाप्त हो जाने के पश्चात् कोई आदेश नहीं बनाया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन निर्मित प्रत्येक आदेश इस निर्माण के पश्चात् यथाशीघ्र विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा।

आज्ञा से,

डी0 पी0 गैरोला,
प्रमुख सचिव।